*अमर बीर सिंह गिल और स्वतन्त्र कुमार, न्यायमूर्ति के समक्ष*

आशीष अगरवाल, - याचिकाकर्ता

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और अन्य - उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. न. 11549 ऑफ़ 2001

8 नवम्बर, 2001

भारत का संविधान, 1950 -अनुछेद 14,16 और 226- सूचना विवरणिका, हरियाणा में मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश परीक्षा 2001-अध्याय VI, भाग 18-प्रवेश परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश- यदि पहले से ही किसी मेडिकल/डेंटल कॉलेज में प्रवेश ले लिया है तो ब्रोशर का भाग *18* एक उम्मीदवार को प्रवेश के अधिकार से वंचित कर देता है - क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अपमान करता है। नहीं-*खंड 18* का उद्देश्य। सीटों की बर्बादी को रोकने के लिए है - केवल यह तथ्य कि उम्मीदवार ने शैक्षणिक सत्र के लिए भुगतान कर दिया है या अधिक भुगतान करने को तैयार है, उम्मीदवार को खंड 18 ब्रोशर की कठोरता से नहीं बचाएगा। -सरकार अपनी शिक्षा योजना और प्रवेश परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को तैयार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है-केवल इसलिए कि पहले सरकार ने इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी, उसे चालू वर्ष में इस शर्त को लागू करने से रोकने का कोई आधार नहीं है-शर्तें और ब्रोशर की शर्तें सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी और प्रभावी हैं। भाग *18* न तो मनमाना और न ही भेदभावपूर्ण - याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य मानने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई न तो अनुचित और न ही अनुचित - याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना गया कि खंड *18* भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि जो छात्र पहले से ही मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में प्रवेश ले चुके हैं, उन्हें उन छात्रों के बराबर या समकक्ष नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें अभी भी ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना है। पहली बार, वे दो अलग-अलग वर्ग हैं जो न तो आपस में तुलनीय हैं और न ही उन्हें बराबर रखा जा सकता है। एक बार जब किसी उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर एमबीबीएस/बीडीएस जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाता है, तो उसे अपने कॉलेज या विषय की प्राथमिकता को बदलने का इरादे से पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने और केवल एमबीबीएस या बीडीएस के किसी अन्य पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कॉलेज या विषय की प्राथमिकता को बदलने का इरादा। इस प्रकार विशेष निकाय द्वारा शुरू किए गए ऐसे परिवर्तन पर रोक लगाने वाले खंड पर शायद ही सवाल उठाया जा सकता है। इसका उद्देश्य एक ओर सीटों की बर्बादी को रोकना है और दूसरी ओर विभिन्न कारकों के आधार पर वांछित निरंतरता प्रदान करना है।

(पैरा16 )

इसके अलावा, यह माना गया कि ब्रोशर एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों से संबंधित है और ब्रोशर के खंड 18 के तहत बनाई गई बंदिश इन पाठ्यक्रमों पर समान रूप से लागू होती है। न्यायालय के समक्ष उक्त धारा को मनमाना या भेदभावपूर्ण बताने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार अपनी शिक्षा योजना और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें तैयार करने में पूरी तरह सक्षम है। इस

संबंध में नीति तैयार करने की राज्य की क्षमता पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। केवल इसलिए कि पहले के ब्रोशर में ऐसा कोई बार नहीं था, राज्य को चालू वर्ष में ब्रोशर में इस खंड को पेश करने से रोकने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता राज्य के खिलाफ किसी भी रोक की दलील नहीं दे सकता।

(पैरा 22 और 23)

इसके अलावा, यह माना गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अकादमिक मानक प्रदान कर सकती है और कर भी सकती है, जिन्हें प्रवेश परीक्षा के लिए भी बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन राज्य प्रवेश के तरीके और पद्धति और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य मानने के लिए उत्तरदाताओं की कार्रवाई में सैद्धांतिक रूप से कोई गलती नहीं पा सकते हैं। ब्रोशर के नियम और शर्तें सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी और प्रभावी हैं और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(पैरा 27 और 31)

अश्वनी तलवार,याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

एस.सी. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता वी.एस. राणा, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

रघुवीर चौधरी, उप महाधिवक्ता हरियाणा

# निर्णय

**स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति**

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में चुनौती अध्याय-6 के खंड 18 की ""सूचना विवरणिका, हरियाणा में मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश परीक्षा 2001", की वैधता को दी गई है जो इस प्रकार है:-

"पहले से ही किसी भी मेडिकल/डेंटल कॉलेज में दाखिला ले चुके उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जाएगा"।

(2) इससे पहले कि हम पार्टियों की ओर से उठाए गए तर्कों/स्वीकृतियों पर ध्यान दें, इस याचिका को जन्म देने वाले बुनियादी तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(3) हरियाणा राज्य ने, 4 फरवरी, 2001 की अपनी अधिसूचना द्वारा, कुलपति, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र को विभिन्न कॉलेजों में वर्ष 2001 के लिए हरियाणा राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया। उपर्युक्त सूचना विवरणिका विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए चयन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 जून, 2001 थी। प्रवेश परीक्षा 1 जुलाई, 2001 को आयोजित की जानी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता सहित प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के संबंध में परिणाम 4 अगस्त, 2001 को घोषित किया गया था। पात्रता की शर्तें ब्रोशर में विधिवत प्रदान की गई थीं और सूचना के अध्याय VI के विशेष निर्देशों की शर्त संख्या 18 के तहत एक उम्मीदवार को अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया गया था, यदि वह पहले से ही किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में भर्ती हो चुका था। ऐसा उम्मीदवार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 के लिए इसी तरह की प्रवेश परीक्षा दी थी और उस वर्ष उसे एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मौलाना, अंबाला में बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था।

(4) याचिकाकर्ता के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च मौलाना, अंबाला में 2001 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में कोई नया प्रवेश नहीं लिया जा रहा है और याचिकाकर्ता का दावा है कि अखबार की कटिंग से पता चला है कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उक्त कॉलेज को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी है। याचिकाकर्ता को 16 अगस्त, 2001 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के संबंध में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। हालांकि, ऊपर उद्धृत खंड 18 के मद्देनजर, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और दो पाठ्यक्रमों अर्थात्. एमबीबीएस और बीडीएस विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश .के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में उनकी अयोग्यता के आधार पर वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए इनकार कर दिया इस प्रकार, याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट दर्ज करने के लिए मजबूर करना याचिका.

(5) नोटिस पर, उत्तरदाताओं ने अपना लिखित बयान दर्ज किया।उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता का कोई कानूनी अधिकार उल्लंघन नहीं किया है।याचिकाकर्ता ने पिछले वर्ष 2000 में प्रवेश एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मौलाना, अंबाला में बीडीएस कोर्स और अनुसंधान, मौलाना, अंबाला, में लिया है और खंड 18 के अनुसार, वह चालू वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर किसी भी आगे के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का हकदार नहीं है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता द्वारा पार्टी के रूप में नहीं लगाया गया है, जैसे

कि, कारण यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि उक्त कॉलेज ने चालू वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति क्यों नहीं दी है।

(6) उत्तरदाताओं की ओर से कहा गया है कि शर्त 18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है, लेकिन मुख्य वस्तु के अनुरूप है कि उम्मीदवार को सीट बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि राज्य / संस्थान भी निवेश करते हैं हर साल छात्रों को शिक्षित करने में काफी पैसा ख़र्च होता है । पात्रता उम्मीदवार के खंड 14 के तहत परामर्श के समय देखा जाता है याचिकाकर्ता अयोग्य था, ब्रोशर के खंड 18 के संदर्भ में , उन्हें उस समय अयोग्य घोषित किया गया था, उपबोधन के समय भी अयोग्य घोषित किया। प्रवेश परीक्षा का परिणाम14 अगस्त, 2001 तारीख को घोषित किया गया था |याचिकाकर्ता ने 200 में से 137 अंक हासिल किए। याचिकाकर्ता को प्रवेश के लिए अयोग्य पाया गया। धारा 18 के तहत कुछ भी न तो विकृत है और न ही यह याचिकाकर्ता का क़ानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है ।

(7) खंड 18 के लिए तीन गुना चुनौती है: -

(a) विवरणिका का खंड 18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है

और और याचिकाकर्ताओं को पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में निष्पक्ष अफ़सर लेने से वंचित रखता है

(b) भारत मेडिकल परिषद द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी और सरकार यह विश्वविद्यालय ऐसी कोई शर्त नहीं रख सकता जो अनुचित और अविवेकी हो

(c) अन्य समान पाठ्यक्रमों के ब्रोशर में ऐसी कोई शर्त नहीं है और, संदर्भ के तहत ब्रोशर में खंड 18 का परिचय मनमाना है।

(8) यह तर्क दिया गया है कि पिछले वर्ष के ब्रोशर में ऐसी कोई शर्त नहीं थी जैसा कि वर्ष 2001 के ब्रोशर में पहली बार पेश किया गया है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खंड 18 के तहत प्रदान की गई पात्रता पर रोक को याचिकाकर्ता के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता।

(9) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने ए. **श्रीकृष्ण चैतन्य बनाम एनआईआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज**[1]1), और **वी. राजा सत्यनारायण और अन्य बनाम उस्मानिया विश्वविद्यालय[2]2) हैदराबाद** के मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा करते हुए, ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में किसी राहत का दावा नहीं कर सकता है।

(10) हमें डर है कि उत्तरदाताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन मामलों में, उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अदालत द्वारा परीक्षण और निर्णय के बीच की अवधि के दौरान बीत चुके समय के कारण याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया गया था। वर्तमान मामले के विपरीत, ब्रोशर के खंड 18 जैसी किसी शर्त या शर्त को कोई चुनौती नहीं थी। किसी उम्मीदवार की पात्रता में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति की संवैधानिकता या वैधता को चुनौती देना, विचार के अधिकार से वंचित करने के समान है और, इस प्रकार, संदर्भित उदाहरणों से स्वतंत्र न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए, हमें उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए प्रारंभिक अनुरोध के आधार पर इस याचिका को खारिज करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

(11) याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से उस शर्त की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है, जो उसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से रोकती है। ऐसे आधार पर इस न्यायलय के क्षेत्राधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय का निर्णय उन मामलों के तथ्यों तक ही सीमित है और कानून के किसी भी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है।

(12) उत्तरदाताओं की इस प्रारंभिक दलीलों से निपटने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क, बिंदु (ए) और (सी) को एक साथ निपटाने की जरूरत है।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रमेश कुमार नाबालिग उसके पिता के साथ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[3]3) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है, ताकि व्यापार (विषय) में बदलाव का तर्क दिया जा सके। ड्राफ्ट्समैन (सिविल) को अनुमति दी गई थी और कुछ हद तक समान खंड, उस मामले में प्रॉस्पेक्टस के खंड 3.4 को व्यापार के परिवर्तन के लिए एक बाधा के रूप में माना गया था। इस

---

[1] 2002 (2) एसटीसी 974

[2] 2000 (5) एसएलआर 15

[3] 1987 (2) एसएलआर 684

मामले पर निर्भरता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस मामले में डिवीजन बेंच ने यह नहीं माना कि प्रॉस्पेक्टस का खंड 3.4 अमान्य था या यह याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है। वास्तव में, डिवीजन बेंच ने विशेष रूप से माना कि प्रॉस्पेक्टस का खंड 3.4 आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का विषय पहली बार में उपलब्ध नहीं था और बाद में पेश किया गया था और इस प्रकार उम्मीदवार को योग्यता के आधार पर सीट प्रदान की जाएगी। डिवीजन बेंच ने दूर-दूर तक यह संकेत नहीं दिया कि व्यापार में बदलाव के लिए रोक, जैसा कि खंड 3.4 में प्रदान किया गया है, टिकाऊ नहीं थी या असंवैधानिक थी।

(14) डॉ. टी. मनोहर बनाम मेडिकल शिक्षा के स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की चयन समिति[4]4) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें अदालत ने बाद के भाग को रद्द कर दिया था। नियमों के नियम 11 के अनुसार, जो चयनित उम्मीदवार के शामिल होने में विफल रहने की स्थिति में पहले से ही चयनित उम्मीदवार को परिणामी रिक्तियों को भरने से रोकता है। नियम 11 इस प्रकार है:- "प्रवेश नियमों का नियम 11 निम्नलिखित शर्तों में है:--

> "चयन समिति द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय के भीतर या किसी अन्य कारण से चयनित उम्मीदवार के कॉलेज में शामिल होने में विफलता के कारण कोई भी रिक्ति, ऐसी सीटें चयन समिति द्वारा अगले उपलब्ध उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी। हालांकि, रिक्तियों को भरते समय, किसी भी पाठ्यक्रम के लिए पहले से ही चयनित उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(15) सबसे पहले, यह निर्णय याचिकाकर्ता के लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि लागू तथ्य और नियम/खंड पूरी तरह से अलग और विशिष्ट हैं और दूसरी बात, हम वर्तमान मामले में समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं।

(16) यह प्रॉस्पेक्टस केवल एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश को नियंत्रित और नियंत्रित करता है। हरियाणा सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और सिविल रिट याचिका संख्या 607/92 में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आगे बढ़ाते हुए, और इसकी पिछली अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए 27 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सहित, सरकार की अधिसूचना के अनुसार एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए 4 फरवरी, 2001 को एक अधिसूचना जारी की गई। खंड 18 उक्त ब्रोशर का अभिन्न अंग था और विशेष निर्देशों/सूचना से संबंधित अध्याय VI के तहत साहसपूर्वक मुद्रित किया गया था। यह अध्याय प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों द्वारा आवेदन भरने और जमा करने के तरीके और प्रक्रिया से संबंधित है। खंड 18 के तहत बनाई गई पात्रता पर रोक का उद्देश्य उत्तरदाताओं द्वारा अपने लिखित बयान में विशेष रूप से बताया गया है और यह ब्रोशर के विभिन्न नियमों और शर्तों और सरकार द्वारा अपने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिसूचना में घोषित योजना से भी स्पष्ट है। . यह ज्ञात तथ्य है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और राज्य भारत के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांत के अनुपालन में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में ऐसी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान

[4] 1994 (4) एसएलआर 698

करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। उस संबंध में। खंड 18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि जो छात्र पहले से ही मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में प्रवेश ले चुके हैं उन्हें उन छात्रों के बराबर या समकक्ष नहीं रखा जा सकता है, जो अभी भी पहली बार ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। ये दो अलग-अलग वर्ग हैं जो न तो आपस में तुलनीय हैं और न ही उन्हें बराबर रखा जा सकता है। एक बार जब किसी उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर एमबीबीएस/बीडीएस जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाता है, तो उसे पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने और केवल इरादे से एमबीबीएस या बीडीएस के किसी अन्य पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसके कॉलेज या विषय की प्राथमिकता बदलें। इस प्रकार विशेष निकाय द्वारा शुरू किए गए ऐसे परिवर्तन पर रोक लगाने वाले खंड पर शायद ही सवाल उठाया जा सकता है। इसका उद्देश्य एक ओर सीटों की बर्बादी को रोकना है और दूसरी ओर विभिन्न कारकों के आधार पर वांछित निरंतरता प्रदान करना है। राज्य और संस्थान ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निर्धारित मानक बनाए रखने के लिए धन, जनशक्ति खर्च करते हैं। पाठ्यक्रम की निरंतरता के दौरान ऐसी टालने योग्य गड़बड़ी निश्चित रूप से सरकार द्वारा बनाई गई पूरी योजना में बाधा उत्पन्न करेगा। अन्यथा भी, यह अनुचित होगा कि जिस उम्मीदवार को प्रासंगिक समय पर पहले से ही अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया है, उसे उस पाठ्यक्रम को छोड़ने और अगले वर्ष में एक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह के निषेध का शुद्ध परिणाम यह होगा कि पिछले वर्ष में कोई सीट बर्बाद नहीं होगी, जबकि चालू वर्ष में पिछले वर्ष के ऐसे उम्मीदवार द्वारा कब्जा की गई सीट के अभाव में योग्यता के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद के वर्ष में विषय या कॉलेज बदलने को नियमित रूप से अनुमति दी जाती है, तो यह व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। खंड की भाषा स्पष्ट रूप से प्रवेश परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की पात्रता पर रोक लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से निश्चितता को इंगित करती है, यानी सटीक कारण है कि इस खंड को विशेष निर्देशों से संबंधित ब्रोशर के अध्याय VI के तहत रखा गया है। /प्रवेश परीक्षा को विनियमित करने वाली जानकारी। याचिकाकर्ता सहित सभी अभ्यर्थियों को इस खंड द्वारा सूचित किया गया था कि यदि वे पहले से ही मेडिकल या डेंटल कॉलेज में प्रवेश ले चुके हैं, तो वे चालू वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। याचिकाकर्ता को चालू वर्ष के लिए फॉर्म भरने से पहले ही पता था कि वे 2001 के ब्रोशर के तहत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। इस प्रकार, नोटिस की कमी के संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है। ब्रोशर के खंड 14 के तहत, प्रवेश स्वयं अनंतिम है और नियमों/अध्यादेशों के अनुसार आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण के अधीन है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर और विशेष रूप से विवरणिका के खंड 18 के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अपरिहार्य अधिकार अर्जित नहीं होता है। विवरणिका के खंड 19 के अंतर्गत अध्याय VI के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई व्याख्या को अंतिम रूप से संलग्न किया गया है। यह खंड उत्तरदाताओं के रुख को और मजबूत करता है कि उनका इरादा था और वे ब्रोशर के खंड 18 को उसकी वास्तविक भावना में लागू कर रहे हैं और इस तरह याचिकाकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य है।

(17) सीटों की लगातार बर्बादी होगी क्योंकि कम महत्व के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक उम्मीदवार उक्त पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहेगा और बाद की प्रवेश परीक्षा देकर बेहतर पाठ्यक्रम या बेहतर संस्थान में प्रवेश के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा। यदि ऐसे उम्मीदवार अगली प्रवेश परीक्षा में सफल हो जाते हैं और उन्हें सीटें दे दी जाती हैं, तो इसका स्पष्ट परिणाम पिछले शैक्षणिक वर्ष कीसीटों की बर्बादी है इसके साथ-साथ अगले वर्ष में योग्यता के एक अन्य उम्मीदवार को वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सीट पाने

से विस्थापित करना। अपवादों को छोड़कर, यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया वाला अपरिहार्य परिणाम होगा, जो स्पष्ट रूप से छात्रों के बड़े वर्गों के हितों के प्रतिकूल होगा। विश्वविद्यालय ने प्रॉस्पेक्टस जारी किया है जिसके तहत याचिकाकर्ता ने बिना किसी विरोध या आपत्ति के प्रवेश परीक्षा दी। याचिकाकर्ता ने ब्रोशर के खंड 18 से पूरी तरह अवगत होते हुए प्रवेश परीक्षा दी, जिसे वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किया गया था।

(18) हमें उत्तरदाताओं की दलील में दम नजर आया कि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करना पेशेवर कॉलेजों में अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने के समान होगा। अधिकांश चिकित्सा संस्थान/कॉलेज राज्य द्वारा चलाए जाते हैं और ऐसे कॉलेजों/अस्पतालों को चलाने में राज्य का भारी निवेश शामिल होता है। किसी अभ्यर्थी को केवल इसलिए पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने की अनुमति देना क्योंकि छात्र पैसे का भुगतान करने में सक्षम है, कानून या यहां तक कि जनता के सामाजिक कल्याण की नजर में स्वीकार्य अनुपालन नहीं होगा। हमारा मानना है कि यह छात्रों को पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और सीटें बर्बाद करेगा, जिससे सभी संबंधित पक्षों को नुकसान होगा। हर कॉलेज अलग-अलग तरह की सीटों पर काम करता है, यानी भुगतान वाली, मुफ्त सीटें, एनआरआई और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें। केवल यह तथ्य कि उम्मीदवार ने शैक्षणिक सत्र के लिए भुगतान कर दिया है या अधिक भुगतान करने को तैयार है, उम्मीदवार को ब्रोशर के खंड 18 की कठोरता से नहीं बचाएगा।

(19) इस तरह के मध्यावधि या प्रवेश के बाद पाठ्यक्रमों या संस्थानों में बदलाव की अनुमति देने का एक और गंभीर परिणाम यह होगा कि इससे शिक्षक-शिक्षित अनुपात और रोगी छात्र/डॉक्टर अनुपात के संबंध में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुपात में गड़बड़ी होना तय है। कानून और समानता में, पाठ्यक्रम या संस्थान के संबंध में किसी उम्मीदवार की अधिमान्य पसंद और इस तरह के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणामों की संभावना के बीच संतुलन बनाना संभव नहीं है। इससे श्रृंखलाबद्ध पुनर्क्रिया और सीटों के अनिवार्य पुनर्आवंटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(20) याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने से पूरे देश में विभिन्न संस्थानों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अपनाई गई पूरी प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ना तय है। याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम बीच में या प्रवेश के बाद भी सिर्फ इसलिए छोड़ने की अनुमति देना क्योंकि उम्मीदवार भुगतान कर सकता है और बाद में प्रवेश ले सकता है चालू वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा देकर बेहतर संस्थान या विषय के चयन के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रतिक्रिया होगी और अनिवार्य रूप से सीटों की बर्बादी होगी।

(21) यह एक अन्यायपूर्ण और असमान प्रथा को प्रोत्साहित करने जैसा होगा जो प्रवेश की वर्तमान प्रणाली को निष्क्रिय कर देगा, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह राज्य द्वारा बनाई गई ऐसी वस्तुनिष्ठ शिक्षा नीति के कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ही विफल कर देगा। इस व्याख्या के परिणामस्वरूप छात्रों के एक सूक्ष्म वर्ग को कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से बड़े छात्रों के हित में है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मौजूदा पद्धति को स्थिरता प्रदान करती है।

(22) इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को पहले ही 2000 में पिछले पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा चुका है और उसे एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मौलाना, अंबाला में बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। याचिकाकर्ता भी उक्त पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है और उसने धारा 18 का उल्लंघन करते हुए 2001 की वर्तमान प्रवेश परीक्षा दी है, जो उसे वर्तमान प्रवेश के लिए पूरी तरह से

अयोग्य बनाती है। सीटों की बर्बादी को रोकने के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सुचारू और उचित संचालन के लिए अधिकारियों द्वारा क्लॉज 18 के तहत प्रतिबंध उचित रूप से लगाया जा रहा है। वर्तमान विवरणिका केवल एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों से संबंधित है। अदालत के समक्ष न तो कोई निश्चित बयान है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा इस दलील के समर्थन में कोई अन्य ब्रोशर रिकॉर्ड पर रखा गया है कि अन्य पाठ्यक्रमों में ऐसे खंड शामिल नहीं हैं। अदालत वर्तमान में केवल मौजूदा मामले से चिंतित है, न कि कानून के किसी सामान्यीकृत प्रावधान से। ब्रोशर एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों से संबंधित है और ब्रोशर के खंड 18 के तहत बनाई गई बार इन पाठ्यक्रमों पर समान रूप से लागू होती है। न्यायालय के समक्ष उक्त धारा को मनमाना या भेदभावपूर्ण बताने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार अपनी शिक्षा योजना और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें तैयार करने में पूरी तरह सक्षम है। इस संबंध में नीति तैयार करने की राज्य की क्षमता पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, जैसा कि राजीव कपूर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [5]5)के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, जहां अदालत ने कहा था अंतर्गत :-

> "हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के दावे को कायम रखने में गंभीर त्रुटि की न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन पाठ्यक्रम के लिए चयन और प्रवेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के अध्याय V में निहित शर्तों के अनुसार होना चाहिए। यह मानने में ऐसी त्रुटि हुई कि सरकार के पास प्रॉस्पेक्टस में शामिल मानदंडों के अलावा कोई भी मानदंड निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था और केवल लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक ही योग्यता प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन करते हैं। चयन और प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार। आगे की त्रुटि इस तथ्य पर ध्यान न देने में हुई है कि 21 मई, 1997 के आदेश, जो लिखित प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए गए थे, भले ही 20 मार्च, 1996 और 21 के आदेशों पर विचार नहीं किया गया हो। फरवरी, 1997 पिछले वर्षों के आदेशों की निरंतरता में पारित हुआ, इस क्षेत्र को जारी रखा गया, क्योंकि 21 मई, 1997 के आदेश केवल उसी की निरंतरता में थे। 20 मार्च, 1996 और 21 फरवरी, 1997 के उन क्रेडरों को प्रॉस्पेक्टस/पाठ्यक्रम में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के अनुरोध के साथ, विश्वविद्यालय को भेज दिया गया था।"

(23) कानून के उपरोक्त स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश के लिए प्रक्रिया और प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तों को निर्धारित करने में सरकार की योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और अन्य[6]6)के एक हालिया फैसले में माना है कि आरक्षण के संबंध में अपनी नीति तैयार करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार बेहतर उपयुक्त हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे निकायों की तुलना में, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में। एक बार, राज्य ने एक नीति तैयार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया है, जो खंड 18 प्रदान करता है, तो याचिकाकर्ता को केवल कठिनाई के आधार पर ऐसी शर्तों को लागू करने की राज्य की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता और अन्य सभी उम्मीदवारों को इस निषेधात्मक धारा के बारे में पूरी जानकारी थी और वास्तव में उन्होंने राज्य द्वारा शुरू की गई उक्त धारा के

---

[5] जेटी 2000 (3) एससी 635

[6] जेटी 2001 (8) एससी 529

बारे में पूरी जागरूकता के साथ प्रवेश परीक्षा दी। यह खंड प्रासंगिक समय के मौजूदा ब्रोशर में सुधार के रूप में पिछले वर्षों के अनुभव पर आधारित है। प्रासंगिक समय. केवल इसलिए कि पहले के ब्रोशर में ऐसी कोई रोक नहीं थी, राज्य को चालू वर्ष में ब्रोशर में इस खंड को शामिल करने से रोकने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में राज्य के खिलाफ कोई रोक नहीं लगा सकता है।

(24) इस स्तर पर, डॉ. संध्या काबरा और अन्य बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय[7]7) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख करना उचित हो सकता है, अदालत ने निम्नानुसार फैसला दिया: -

> "60. योजना आगे निम्नानुसार प्रावधान करती है:-
>
> XX XX XX
> XX XX XX
>
> ड्रॉप आउट के कारण ऐसी रिक्त सीटों को भरते समय, किसी भी संस्थान में किसी भी विषय में पहले से ही प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा और केवल प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।
>
> ...अब पुरानी योजना से जो मुख्य विचलन किया गया है वह यह है कि विषयों में बदलाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यदि याचिकाकर्ता किसी विशेष विषय का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो नई योजना के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को कोई पाठ्यक्रम नहीं चुनना चाहिए था और प्रतीक्षा सूची में अपना नाम बरकरार रखने पर जोर देना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने ऐसा न करने का विकल्प चुना। वे केवल अच्छा हिस्सा रखना चाहते हैं और बुरा नहीं है वे केवल अच्छा हिस्सा रखना चाहते हैं और बुरा नहीं । याचिकाकर्ताओं ने सबसे अच्छे विषय और/या संस्थान को स्वीकार किया जो काउंसलिंग के समय उपलब्ध था और अब यदि कोई आकस्मिक रिक्ति निकली है, तो हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता कोई शिकायत कैसे कर सकते हैं।" "...हालाँकि कोई भी प्रणाली कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है, हमारा दृढ़ मत है कि वर्तमान योजना या प्रक्रिया जो तैयार की गई है, उससे कम से कम अव्यवस्था होगी और यह उम्मीदवारों के साथ-साथ उन संस्थानों के लिए भी अधिक फायदेमंद है, जिनसे उन्हें नियुक्त किया गया है।"
>
> "76. संक्षेप में, इन रिट याचिकाओं में हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-
>
> XX XX XX
>
> XX XX XX \
>
> (डी) जिन उम्मीदवारों ने पहले ही प्रवेश सुरक्षित कर लिया है, उनके लिए पाठ्यक्रम या अस्पताल में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है।

[7] एआईआर 1993 दिल्ली 40

(25) डॉ. संध्या काबरा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अन्य पूर्ण पीठ ने **डॉ. वीणा गुप्ता बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय**[8]8) के मामले में दोहराया, और अदालत ने आवंटन के लिए उस अधिकार को माना सीट की सीमा केवल प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों पर लागू थी, न कि उन उम्मीदवारों पर, जिन्होंने पहले ही प्रवेश ले लिया था। डॉ. वीणा गुप्ता के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद कुमार कनकने बनाम यूपी राज्य[9]9) के मामले में की थी। और अन्य, जहां अदालत ने निम्नानुसार कहा:-

> "हमने उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष प्रस्तुत सभी दलीलों की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारा मानना है कि डॉ. वीणा गुप्ता के मामले (सुप्रा) और पंजाब उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष और अनिल जैन के मामले में हरियाणा (सुप्रा) कारण के अनुरूप है और तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है। यह स्पष्ट है कि एक बार उम्मीदवार द्वारा एक विकल्प का प्रयोग किया जाता है जिसके आधार पर उसे विषय आवंटित किया जाता है और उसके बाद उस उम्मीदवार को अनुमति दी जाती है बाद की काउंसलिंग में भाग लेते हैं और उसकी सीट खाली हो जाती है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतहीन होगी और, जैसा कि उच्च न्यायालय ने आशंका जताई है, निर्धारित अवधि के भीतर शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा करना संभव नहीं होगा।"

(26) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डॉ. टी. मनोहर (सुप्रा) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय कुछ हद तक दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के विपरीत है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित। विवाद के संबंध में (बी)

(27) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत काउंसिल को मेडिकल शिक्षा के मानकों के रखरखाव के संबंध में नियम बनाने और निर्देश जारी करने का अधिकार है। मेडिकल में प्रवेश और राज्य में बीडीएस पाठ्यक्रमों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनी शिक्षा नीति और संवैधानिक जनादेश के अनुसार विनियमित और नियंत्रित किया जाना है। प्रवेश के लिए नीतियां बनाने में राज्य की क्षमता पर शायद ही कोई विवाद हो सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया शैक्षणिक मानक प्रदान कर सकती है और कर भी सकती है, जिन्हें प्रवेश परीक्षा के लिए भी बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन राज्य प्रवेश के तरीके और पद्धति और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में राजीव कपूर के मामले (सुप्रा) का संदर्भ लिया जा सकता है।

(28) हम यह भी देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[10]10) के मामले से शुरू होने वाले विभिन्न मामलों में शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में जारी की गई है। हमारे सामने यह तर्क भी नहीं है कि यह नीति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करती है। अन्यथा भी ऐसी रोक के नुस्खे को अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता।

(29) सुनवाई के दौरान, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने 2001 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता को 107 रैंक पर बताया गया है और वह वर्तमान में भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का हकदार नहीं होगा। वर्ष। याचिकाकर्ता को प्रवेश परीक्षा 2001 में अपनी योग्यता के आधार पर किसी अन्य कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम से सम्मानित किया जा सकता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता

---

[8] एआईआर 1994 दिल्ली 108 (एफबी)

[9] जेटी 2001 (6) एससी 260

[10] 1984 (3) एससीसी 654

को पाठ्यक्रम बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं।

(30) याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि उसी कॉलेज को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए नए प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी गई है, वर्तमान मामले से कोई प्रासंगिकता नहीं है जो कि कॉलेज अधिकारियों और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच का मामला है। विश्वविद्यालय। वर्तमान रिट याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से यह प्रश्न अप्रासंगिक है। हालाँकि, हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित अधिकारी समय रहते उचित कदम उठाएंगे ताकि याचिकाकर्ता सहित जो छात्र पिछले वर्ष के प्रवेश के आधार पर बीडीएस के दूसरे वर्ष में अपने पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी शैक्षणिक नुकसान का सामना न करना पड़े। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ-साथ राज्य प्राधिकरण और विश्वविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के साथ-साथ छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत हैं।

31) हम याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य मानने के लिए प्रतिवादियों की कार्रवाई में सैद्धांतिक रूप से कोई गलती नहीं पा सकते हैं। ब्रोशर के नियम और शर्तें सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी और प्रभावी हैं और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अमर दीप सहोता बनाम पंजाब राज्य और अन्य[11]11) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ऐसा कहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शिक्षा के मामलों में गलत सहानुभूति से बचा जाना चाहिए और विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस और कैलेंडर के विपरीत प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस आधार पर भी हमें याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। सी.बी.एस.ई. के मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। और दूसरा बनाम पी. सुनील कुमार और अन्य[12]12)

(32) उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए सभी तर्कों को खारिज करते हैं और उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इस रिट याचिका को खारिज कर देते हैं। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है|

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, कैथल, हरियाणा

[11] 1993 (2) पीएलआर 212
[12] 1998 (5) एससीसी 377